दिनांक: 01.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास करने वाले 05 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार,कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध अस्लाह व 01 स्कार्पियो कार बरामद

बरामदगीः-

- **01 देशी तमन्चा 315 बोर**
- **01 जिन्दा कारतूस 315 बोर**
- **01 खोखा कारतूस 315 बोर**
- **02 बैसबाल के बेट**
- **01 हाकी स्टीक**
- **01 फावडे का लकडी का बैंटा**
- **01 स्कार्पियो कार काले रंग की**

अवगत कराना है कि थाना बिहारीगढ पर दिनांक 30.4.2024 को वादी श्री जीतेन्द्र व्यास पुत्र जगदीश व्यास निवासी ग्राम खनपुरा थाना मांसलपुर जिला करौली राजस्थान हाल इंचार्ज कैलाश रिविर बैड मिनरल्स LLP तेलपुरा अमानतगढ थाना बुग्गावाला जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड ने एक लिखित प्रार्थाना पत्र बाबत अभियुक्तगण (1) नूर आलम उर्फ परवेज पुत्र कुरबान निवासी ग्राम थापुल मुस्लिम थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर (2) उमान पुत्र इमरान निवासी ग्राम थापुल मुस्लिम थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर (3) जमशेद पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम थापुल मुस्लिम थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर (4) उस्मान पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम थापुल मुस्लिम थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर व 20-25 लोग नाम पता अज्ञात के द्वारा वादी व वादी के साथियो पर जानलेवा हमला करने के सम्बन्ध मे थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0सं0 76/24 धारा 147/148/149/452/307/504/506 भादवि के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर हत्या के प्रयास की घटना का सफल अनावरण व इसमें शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गये। इसी आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बिहारीगढ के कुशल नेतृत्व में दिनांक 30.04.2024 की रात्रि को मुखबिर की सूचना पर थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नामित/प्रकाश मे आये अभियुक्तगण **(1) उमान पुत्र इमरान निवासी ग्राम थापुल मुस्लिम थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर (2) उस्मान पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम थापुल मुस्लिम थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर (3) शहजाद पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम थापुल मुस्लिम थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर (4) शाहरुख पुत्र गुलजार निवासी ग्राम थापुल मुस्लिम थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर (5) तालिब पुत्र**

वाजिद निवासी ग्राम थापुल मुस्लिम थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर को देहरादून सहारनपुर हाईवे पर मिलेनियम कालेज के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 देशी तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस/ 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 2 बैसबाल के बेट , 01 हाकी स्टीक ,01 फावडा का लकडी का बैंटा व 01 काले रंग की स्कार्पियो कार नं0 UP 11 CS 9001 बरामद हुये। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधारप पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछः- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछताछ करने पर एक स्वर में बताया कि दिनांक 29.04.2024 को हम अपनी स्कार्पियो कार नं0 UP 11 CS 9001 से तेलपुरा रायल्टी नाके पर उत्तराखण्ड की तरफ से आ रहे थे। वहाँ पर कैलाश रिविर बैड मिनरल्स कम्पनी के कर्मचारीयो ने हमे रोका तो हम नही रुके तथा इसी बात को लेकर हमारा उनसे झगडा हो गया । हम अपनी कार से वहाँ से कस्बा बिहारीगढ मे बुग्गावाला रोड पर अकरम के मकान पर जहां कैलाश रिविर कम्पनी के लोग रहते है वहाँ आकर हम लोगो ने मिलकर उनके साथ हाकी व बैसबाल के डन्डो से मारपीट की तथा जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता -

(1) उस्मान पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम थापुल मुस्लिम थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर
(2) उमान पुत्र इमरान निवासी ग्राम थापुल मुस्लिम थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर
(3) शहजाद पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम थापुल मुस्लिम थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर
(4) शाहरुख पुत्र गुलजार निवासी ग्राम थापुल मुस्लिम थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर
(5) तालिब पुत्र वाजिद निवासी ग्राम थापुल मुस्लिम थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा/ 01 खोखा कारतूस 315 बोर
- 02 बैसबाल के डन्डे ,01 फावडे का लकडी का बैंटा व 1 हाकी स्टीक
- 01 स्कार्किपियो कार नं0 UP11CS 9001

गिरफ्तार अभियुक्त तालिब उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 76/24, धारा 147/148/149/452/307/504/506/323 भादवि थाना बिहारीगढ सहारनपुर
मु0अ0सं0 109/20 धारा 56 आपदा प्रबन्धन अधि0 व 188/269/270 भादवि थाना बिहारीगढ सहारनपुर
मु0अ0सं0 119/20 धारा 3 महामारी अधि0 व 188/269/270 भादवि थाना बिहारीगढ सहारनपुर
मु0अ0सं0 218/19 धारा 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम व 120बी/379/411 भादवि व 2/3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम थाना बिहारीगढ सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री योगेन्द्र कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री ब्रजपाल सिंह थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 देवेश कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
5. का0 1557 गौरव कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
6. का0 2514 रणजीत कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
7. का0 1377 रवि कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
8. का0 2331 लवलेश राठी थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

दिनांक: 01.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द,सहारनपुर पुलिस द्वारा ड्यूटी के दौरान उ0नि0 पर जानलेवा हमला करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 01 लोहे का पंच, 01 सुआ व 01 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 30.04.2024 को वादी उ0नि0 श्री विनोद कुमार ने थाना देवबंद पर एक लिखित तहरीर बाबत देवबंद मेला ड्यूटी के दौरान मोटर साईकिल सवार 3 व्यक्तियो द्वारा वादी को जान से मारने की नियत से लोहे के पंच व सुआ से मारपीट करने के संबंध में थाना देवबंद पर मु0अ0सं0- 214/24 धारा 333/353/324/307/504 भादवि बनाम 1.नीटू पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 2.धर्म पुत्र अज्ञात व निवासी अज्ञात 3. एक अन्य व्यक्ति अभियोग पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के ने उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, घटना में शामलि अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.04.2024 को थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर अभियुक्तगण 1.**नीटू पुत्र रमेश नि0 ग्राम कुरलकी थाना देवबंद जिला सहारनपुर** 2. **धर्म पुत्र रणवीर नि0 ग्राम रण्मलपुर थाना नागल जिला सहारनपुर** को माता बाला सुंदरी देवी मेला के मैन गेट के पास से को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 01 लोहे का पंच, 01 सुआं व 01 मोटरसाईकिल UP 11 BY 2938 बरामद हुई। बरामद मोटरसाइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायाल के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त दोनो ने एक स्वर में बताया कि हम कम पढे लिखे हैं व मजदूरी का कार्य करते हैं। हम दोनो दिनांक 30.04.2024 को कस्बा देवबंद में माता बाला सुंदरी मेले में गये थे। हमने शराब पी रखी थी हमारी बाईक मेले के मेन गेट पर लगे बैरिकेटिंग के पास पहुँची तो ड्यूटी पर तैनात दरोगा जी ने हमे मोटरसाइकिल मेले में अंदर ले जाने से मना किया लेकिन हम अपनी जिद्द पर अड़े रहे और दरोगा जी को लोहे के पंच व सुए से मारपीट कर घायल कर दिया। हमारा एक अन्य साथी मौके से फरार हो गया था और हमें पुलिस ने पकड़ लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:–

1.नीटू पुत्र रमेश निवाली ग्राम कुरलकी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।

2. धर्म पुत्र रणवीर निवाली ग्राम रण्मलपुर थाना नागल जनपद सहारनपुर।

बरामदगी–

- 01 लोहे का पंच
- 01 सुआ
- 01 मोटर साइकिल (UP11BY2938)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 मनाजिर हुसैन थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 प्रकाश चन्द व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. हे0का0 988 प्रदीप थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

प्रेस नोट

दिनांकः 01.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा,सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गए सामान 01सैमसंग मोबाईल फोन, 01 लेडिज पर्स व 1700/- रुपये नगद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 22.04.2024 को थाना सरसावा पर वादी श्री राघव मक्कड निवासी साहिब जी नगर, आई टी सी रोड, जिला सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की गाडी का शीशा तोडकर गाडी मे रखा सेमसंग का मोबाईल गेलेक्सी A-22-5G , एक लेडीज पर्स व पैसे चोरी करने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 105/2024 धारा 379/427 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर ने उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, चोरी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश मे आये **अभियुक्त सरवन पुत्र देशराज निवासी ग्राम जलालपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को नकुड रोड पर हाइवे पुल के पास से गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से चोरी गए 01 सैमसंग मोबाईल फोन A-22(5 G), 01 लेडिज पर्स व 1700/- रुपये नगद बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यववाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं कक्षा 05 वीं पास हूँ व नशा करने का आदि हूँ। अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिये मैंने कुछ दिन पहले अंबाल सहारनपुर हाईवे पर मानव ढाबे के पास खड़ी एक कार का शीशा तोड़कर उसमें रखे 01 लेडिज पर्स, 01 सैंमसंग मोबाईल फोन व 5000/- रुपये चोरी किये थे। जिनमें से 3300/- रुपये मैंने खर्च कर दिए।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सरवन पुत्र देशराज निवासी ग्राम जलालपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- 01 मोबाईल फोन सेमसंग A-22-5G
- 1700/- रुपये नगद
- 01 लेडिज पर्स

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 रामवीर सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2.हे0का0 892 अजय राठी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
3.का0 1259 विनीत तोमर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 01.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध असलाह रखने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 देशी पिस्टल/ 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 7.65 बोर बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शस्त्र के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त **सुनील उर्फ गोरा पुत्र रामकुमार निवासी मौ0 श्याम विहार कालौनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को मौ0 प्रकाश लोक के गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके **कब्जे से 01 देशी पिस्टल, 01 जिन्दा कारतूस/ 01 खोखा कारतूस 7.65 बोर** बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त सुनील उर्फ गोरा उपरोक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 140/2024 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त सुनील उर्फ गोरा उपरोक्त ने बताया कि जो देशी पिस्टल पुलिस टीम द्वारा मुझसे बरामद किया गया है उसे मैं रोब गालिब करने के लिये अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सुनील उर्फ गोरा पुत्र रामकुमार निवासी मौ0 श्याम विहार कालौनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 देशी पिस्टल 7.65 बोर , 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 7.65 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 960 सचिन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1808 आशीष थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. का0 272 सन्दीप थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 01.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध असलाह रखने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 देशी तमंचा / 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शस्त्र के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अरराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.05.2024 को थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 01 शातिर अभियुक्त **नदीम उर्फ लम्बू पुत्र शकील निवासी एकता कालौनी सकूरी मस्जिद थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को कच्चे 62 फुटा के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके **कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315** बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त नदीम उर्फ लम्बू उपरोक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 141/2024 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त नदीम उर्फ लम्बू उपरोक्त ने बताया कि जो तमंचा पुलिस टीम द्वारा मुझसे आज बरामद किया गया है उसे मैं आस पास के लोगो को डराने धमकाने व अपनी सुरक्षा के लिये रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

नदीम उर्फ लम्बू पुत्र शकील निवासी एकता कालौनी सकूरी मस्जिद थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त नदीम उर्फ लम्बू उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 120/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर सहारनपुर
2. मु0अ0स0 238/23 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना कुतुबशेर सहारनपुर
3. मु0अ0स0 363/17 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर सहारनपुर
4. मु0अ0स0 403/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर सहारनपुर
5. मु0अ0स0 343/19 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
6. मु0अ0स0 644/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

6. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
7. उ0नि0 श्री सचिन पूनिया थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
8. है0का0 388 कपिल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
9. है0का0 974 अमित भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 01.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध खनन के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 01.04.2024 को वादी अभिलाष चौबे खान, निरीक्षक जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त इमरान पुत्र उमरदीन निवासी ग्राम मण्डावर, थाना कैराना,जनपद शामली द्वारा एसएस स्टोन क्रेशर के मालिक से सांठ गांठ व मिलीभगत कर खनिज की चोरी कर अवैध तरीको से बाजार मे विक्रय कर सरकारी राजस्व को क्षति पहुचाने के सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0 100/24 धारा 379/411/120B भादवि व 2/3 सार्वजनिक सम्मपत्ति निवारण अधि0 व 4/21 खान व खनिज अधि0 पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेकर घटना के सफल अनावरण व वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में 01 शातिर वांछित अभियुक्त **इमरान पुत्र उमरदीन निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली** को दिल्ली सहारनपुर रोड चुन्हैटी अन्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियिक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

इमरान पुत्र उमरदीन निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0 नि0 श्री मूलचन्द थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।
2. का0 2105 मनोज कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।